कार्यालय : जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या : 1077 /(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ दिनांकः 27 सितम्बर 2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित मेसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड लि0 की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जनपद लखनऊ तहसील सरोजनी नगर परगना लखनऊ ग्राम संरसवा की 8.2322 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2: राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 16–09–2021 को अनुमोदित किया गया है।

3: सामाजिक समाघात निर्धारण का सारॉश इस प्रकार हैः–

(क) प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक 8.2322 हे0 भूमि का अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है। इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(ख) भूमि के अर्जन से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिमूल सामाजिक समाघात की तुलना में बहुत अधिक है। वस्तुतः प्रतिकूल सामाजिक समाघात नगण्य है।

4: भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5: अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है। .

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	
लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	सरसंवा	44मि0	0.253
				56	0.133
				171	0.026
				173	0.157
				201	0.209
				206	0.0671
				227	0.172
				242	0.086
				245	0.361
				247	0.667
				320	0.0611
				321	0.253
				339	0.0062
				356	0.253
				361	0.052
				392	1.144

				393	0.279
				423	0.620
				427	0.054
				431	0.172
				437	0.391
				योग	5.4164
			अरदौनामऊ	1	0.228
				2	0.272
				4	0.139
				11	0.208
				38	0.0263
				39	0.0405
				55	0.129
				127स	0.191
				129मि0	0.123
				131	0.272
				159/2	0.142
				योग	1.7708
			अहमामऊ	2	1.045
				योग	1.045
				कुल योग	8.2322

6: अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7: अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8: अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

.

(मनीष कुमार नाहर)
कलेक्टर, लखनऊ,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)

कार्यालय : जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या : 1076 /(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ दिनांकः 27 सितम्बर 2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित मेसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड लि0 की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के सम्पूर्ण विकास के लिए जनपद लखनऊ तहसील सरोजनी नगर परगना लखनऊ ग्राम संरसवा, की 0.7184 हे0 भूमि पर प्रस्तावित 45 मीटर रोड हेतु आवश्यकता है।

2: राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 16–09–2021 को अनुमोदित किया गया है।

3: सामाजिक समाघात निर्धारण का सारॉश इस प्रकार हैः–

(क) प्रस्तावित भूमि के लिए आवश्यक 0.7184 हे0 भूमि का अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है। इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(ख) भूमि के अर्जन से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिमूल सामाजिक समाघात की तुलना में बहुत अधिक है। वस्तुतः प्रतिकूल सामाजिक समाघात नगण्य है।

4: भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5: अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है। .

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	
लखनऊ	सरोजनीनगर	लखनऊ	सरसंवा	39	0.0222
				48	0.0356
				177	0.0136
				179	0.0046
				184	0.123
				185	0.0116
				186	0.0056
				274मि0	0.1212
				275मि0	0.210
				56	0.171
				योग	0.7184

6: अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7: अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8: अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

.

(मनीष कुमार नाहर)
कलेक्टर, लखनऊ,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)